मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडिया और भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे के बीच समझौता

ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडिया, और भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे को इसके बाद 'पक्ष/पक्षों' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इस पर विचार करते हुए कि पक्षों से संबंधित क्षेत्रों में, पक्षों के कुछ सामानों का आयात और बिक्री कुछ मानकों की अनुरूपता और/या अन्य नियामक दस्तावेजों के अनुसार है;

यह पुष्टि करते हुए कि पक्षों से संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानक निकायों (एनएसबी) के स्वयं से संबंधित कानूनों के अनुसार उनके लागू मानकों और नियामक दस्तावेजों के अनुसार उत्पाद और प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रमाण पत्र / लाइसेंस / अनुरूपता के चिन्ह जारी करने का प्राधिकार है।

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

1. परिभाषाएं

1.1 इस समझौते और इसके अनुलग्नकों में प्रयुक्त सामान्य शब्दों का अर्थ आईएसओ/ आईईसी गाइड 2 : "सामान्य शर्तें और मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों से संबंधित उनकी परिभाषाएं" और आईएसओ / आईईसी 17000: "अनुरूपता मूल्यांकन - शब्दावली और सामान्य सिद्धांत" के नवीनतम संस्करण में दी गई परिभाषाओं में अन्तर्विष्ट हैं । इसके अतिरिक्त, इस समझोते के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम और परिभाषाएं लागू होंगी:

1.2 एनएसबी: राष्ट्रीय मानक निकाय (एनएसबी) पक्षों के क्षेत्र में अर्थ है, ब्यूरो ऑफ़ स्टैंडर्ड्स, मैट्रोलोजी एंड इंस्पेक्शन,, ताइपे और भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली है।

1.3 लाइसेंस/प्रमाण पत्र: प्रमाणन प्रणाली के नियमों के तहत जारी दस्तावेज जो आधिकारिक रूप से दर्शाता है कि कोई उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा एक विशिष्ट मानक के अनुरूप है।

1.4 उत्पाद: जहां कहीं भी उल्लेख किया गया है, उत्पाद में उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा शामिल होगी।

2. सामान्य

2.1 इस समझौते में सभी गतिविधियां संबंधित क्षेत्रों में (एनएसबी) को नियंत्रित करने वाले कानूनों, अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार शर्ताधीन और लागू होंगी।
2.2 उत्पाद श्रेणियां जिनके लिए यह समझौता लागू होगा, दोनों एनएसबी की सहमति से एवं यह सुनिश्चित करने के बाद पक्षों के बीच तय किया जाएगा कि संबंधित एनएसबी के पास संबंधित उत्पाद श्रेणियों के अनुरूप मूल्यांकन के लिए तकनीकी क्षमता और अनुभव है ।
2.3 समझौते की शर्तें केवल पहचानी गई और किसी भी समय संयुक्त रूप से सहमत उत्पाद श्रेणियों के संबंध में लागू होंगी। विनियमित उत्पादों के मामले में, इस समझौते के प्रावधान तभी लागू होंगे जब दोनों पक्षों के क्षेत्रों में संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी।

3. उत्पाद प्रमाणन

3.1 समझौते में उल्लिखित शर्तों के ढांचे के अंतर्गत, सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों का अनुसरण किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से प्रभावी किया जाएगा, संतुष्ट होने के पश्चात कि पक्षों के क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाएं परस्पर स्वीकार्य हैं और संबंधित नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं। यह माना जाएगा कि प्रत्येक चरण एक कदम आगे है और इसमें पिछले सभी चरणों में सहमति सहयोग शामिल है। चरण-दर-चरण प्रगति दो एनएसबी के महानिदेशकों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति होगी और इस समझौते पर सहमति आदान-प्रदान किए गए नोटों को इस समझौते का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।

3.1.1 चरण:1

एनएसबी एक दूसरे को एजेंट के रूप में निगरानी निरीक्षण करने और एनएसबी को नमूने लेकर भेजने के लिए अधिकृत करेंगे। एनएसबी द्वारा लाइसेंस/प्रमाणपत्रों के संचालन के उद्देश्य से निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी, जिसमें ऐसे लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों के दायरे के विस्तार, नवीनीकरण, अंकन को रोकने, निलंबन, रद्द करने आदि से संबंधित निर्णय लेना शामिल है।

3.1.2 चरण:2

एनएसबी पूर्व-प्रमाणन/प्रारंभिक निरीक्षण करने के लिए अभिकर्ताओं के रूप में एक-दूसरे को प्राधिकृत करेंगे, और जब भी लागू हो, दूसरे एनएसबी को भेजने के लिए नमूने लेंगे। अन्य एनएसबी द्वारा स्वीकृत /लाइसेंस जारी करने/ प्रमाणपत्र स्वीकृत करने के उद्देश्य से निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी।

3.1.3 चरण:3

एनएसबी पूर्व-प्रमाणन/प्रारंभिक निरीक्षण या प्रयोगशालाओं में निगरानी निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों के परीक्षण की अनुमति देगा (उस क्षेत्र में जहां आवेदक/लाइसेंसधारी विनिर्माण परिसर स्थित हैं), जिनके पास एक निकाय से सभी परीक्षणों के लिए आईएसओ/आईईसी 17025 के लिए प्रत्यायन मान्यता है जो आईएलएसी/एपीएसी का सदस्य है और एनएसबी द्वारा मान्यता प्राप्त है एनएसबी ऐसे लाइसेंस/प्रमाण-पत्र के विषय-क्षेत्र के विस्तार, नवीनीकरण, निलंबन, रद्दीकरण आदि से संबंधित निर्णय लेने सहित लाइसेंस/प्रमाणपत्रों के संचालन के प्रयोजनार्थ परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार करेगें। ।

3.1.4 चरण:4

जहां कहीं भी मानकों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, एनएसबी निरीक्षण रिपोर्ट और एक दूसरे की सभी आवश्यकताओं के लिए परीक्षण रिपोर्ट आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से एक ऐसे निकाय से स्वीकार करेंगे जो आईएलएसी/एपीएसी का सदस्य है औरसंबंधित एनएसबी द्वारा प्रत्यायित है। । इन रिपोर्टों का उपयोग अन्य एनएसबी के क्षेत्र में लाइसेंस/प्रमाणपत्र देने/जारी करने के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा; और कार्यक्षेत्र के विस्तार, नवीनीकरण, निलंबन, ऐसे लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों को रद्द करने और अन्य परिचालन संबंधी मुद्दों से संबंधित निर्णय लेने के लिए किया जाएगा।

3.2 किसी भी एनएसबी द्वारा लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी करना संबंधित एनएसबी का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। यह क्षेत्र में लागू नियामक अपेक्षाओं के अनुसार और एनएसबी के संगत मानकों के अनुपालन की संतुष्टि करने के पश्चात किया जाना चाहिए।

3.3 एनएसबी को अन्य एनएसबी से प्राप्त निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपनी प्रमाणन योजनाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का प्राधिकार होगा।

3.4 एनएसबी किसी एक आवेदक या लाइसेंसधारी इकाई या प्रयोगशाला के सुकर दौरे पर विचार कर सकते हैं, जिसे दूसरे एनएसबी द्वारा किसी भी स्तर पर आवश्यक समझा जाता है, जिसे पूर्व में लिखित रूप से सूचित करना होगा।

3.5 एनएसबी अंग्रेजी में अनुरूपता के चिह्न के उपयोग को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों, नियमों और विनियमों सहित उत्पाद प्रमाणन की प्रक्रियाओं को एक दूसरे को प्रदान करने के लिए सहमत होंगे।

3.6 एनएसबी पैराग्राफ 2.2 और 2.3 के प्रावधानों के अनुसार सहमत सूची में शामिल उत्पादों से संबंधित मानकों और नियामक प्रावधानों को अंग्रेजी में एक दूसरे को प्रदान करने के लिए सहमत होंगे। एनएसबी अंग्रेजी में, इन मानकों के नए संस्करण या नियामक प्रावधान में किसी भी संशोधन के बारे में एक महीने के भीतर एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

3.7 एनएसबी संबंधित एनएसबी की प्रमाणन योजना के उल्लंघन के मामले में संबंधित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक दूसरे को सभी सहायता प्रदान करेगें। हालांकि, की जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई संबंधित क्षेत्र/एनएसबी में कानूनों के अनुसार शासित होगी।

4. शुल्क

इस समझौते के तहत किसी भी गतिविधि से संबंधित लागत पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर ली जाएगी।

5. गोपनीयता

5.1 एनएसबी लाइसेंस/प्रमाणपत्रों के संचालन के संबंध में सभी सूचनाओं/पत्राचारों को गोपनीय रखेंगे और इसका उपयोग केवल इस समझौते के संचालन के उद्देश्य से करेंगे।

5.2 इस समझौते के तहत एनएसबी के गोपनीयता दायित्व उन सूचनाओं पर लागू नहीं होंगे जो:
क) एनएसबी की किसी त्रुटि बिना सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है या बन गया है;
ख) इस करार के तहत जानकारी प्राप्त होने से पूर्व किसी एक एनएसबी के अधिकार में;
ग) मान्य वैध स्वामित्वधारी वाली किसी एक एनएसबी द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्त किया जाता है
घ) कानून या न्यायालय के आदेश द्वारा आवश्यक है।

6. दायित्व

यदि किसी एनएसबी के खिलाफ अन्य एनएसबी की गतिविधियों के संबंध में दावा दायर किया जाता है, तो पहली एनएसबी तुरंत अन्य एनएसबी को इस तरह के दावे के बारे में सूचित करेगा और बिना किसी देरी के सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज भेजेगी। पहला एनएसबी दावेदार, अन्य एनएसबी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने और न्यायालय में खुद का बचाव करने के अवसर से पूर्व, अन्य एनएसबी की सहमति के बिना किसी भी पैसे का भुगतान नहीं करेगा।

7. शिकायतें

जब भी अन्य एनएसबी द्वारा अनुरोध किया जाएगा, एनएसबी उपभोक्ता शिकायतों की जांच करेगा और जांच रिपोर्ट भेजेगा।

8. सूचना और कार्मिकों का आदान-प्रदान

8.1 एनएसबी उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए भी सहमत होगा।
8.2 एनएसबी मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन वाले पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में आपसी रूप से सहमत शर्तों पर एक-दूसरे के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहमत होंगे।

8.3 एनएसबी उपरोक्त क्षेत्रों में परस्पर सहमति के आधार पर कार्मिकों का आदान-प्रदान करने के लिए भी सहमत होंगे।

9. इस समझौते की वैधता

9.1 समझौता पक्षकारों द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद, यह स्वचालित रूप से 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए नवीनीकृत हो जाएगा, जब तक कि इसे समाप्त नहीं किया जाता है।
9.2 किसी भी पक्ष द्वारा लिखित में तीन महीने की अग्रिम सूचना देकर इस समझौते को समाप्त किया जा सकता है।
9.3 यदि 9.2 में उल्लिखित "नोटिस" की अवधि के दौरान, इस समझोते की शर्तों के तहत एक विशिष्ट असाइनमेंट किया जा रहा है, तो यह असाइनमेंट इसके पूरा होने तक जारी रहेगा।

10. संशोधन

पक्षों की आपसी लिखित सहमति पर इस समझौते को किसी भी समय पुनरीक्षित या संशोधित किया जा सकता है।

11. विवाद

इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, वाद या दावे को पारस्परिक परामर्श और एनएसबी और पक्षों द्वारा बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

12. भाषा

लाइसेंस/प्रमाण पत्रों, परीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और सभी प्रकार का पत्राचार और इस समझौते से संबंधित सभी नोटिस अंग्रेजी भाषा में होंगे।

13. सक्षम प्राधिकारी

इस समझौते को कार्यान्वयित करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं:

क) ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडियाके लिए ब्यूरो ऑफ़ स्टैंडर्ड्स, मैट्रोलोजी एंड इंस्पेक्शन, ताइपे है।

ख) भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली है।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने, इसके लिए विधिवत अधिकृत होने के कारण, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

चीनी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडिया, ताइपे

बौशुआन गेर

प्रतिनिधि

दिनांक

18th May, 2022

स्थान

New Delhi

कृते भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे

गौरंगलाल दास

महानिदेशक

दिनांक

18th May, 2022

स्थान

Taipei